

#1811

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगढ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासन)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्वयित- 136 प्र.सं. 1031 दायर दिनांक 9/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25



क्र.नं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	अना खोडी	317	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार का अधिनियम 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p>			<p>तहसीलीदार कपासन का अनुशाषण स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासन</u> पं. <u>कपासन</u> खतासं. <u>317</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
प्रतिलिपि पालनार्थ:-			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पटवार प्रणव कुमार शर्मा  
पटवार प्रणव कुमार शर्मा  
को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रकाड में अमलदरासमद करें।

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-वित्तौडगढ

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (भू.अ.)

तहसील कपासन जिला-वित्तौडगढ